अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2021(GCMS 2021/56) (आरटीआई नं. 212709815355183) एडवोकेट श्री धर्मेन्द्र खीचड़ निवासी कालवासिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335064 (मोबाईल नम्बर 94068–60086) <u>बनाम</u> प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

<u>12.04.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी धर्मेन्द्र खीचड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाने एवं वांछित सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धर्मेन्द्र खीचड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. कार्यालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को प्रार्थी द्वारा शस्त्र लाईसेन्स बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 11.11.2019 को दिए गए प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. प्रार्थी द्वारा दिए गए उक्त प्रा[illegible] से सम्बन्धित पत्रावली की समस्त फर्द अह[illegible] द्वारा आज तक की गई समस्त कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतिलिपि, पुलि[illegible]ग द्वारा की गयी समस्त रिपोर्ट/दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. उक्त समस्त पत्रावली का निरीक्षण करवाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)() न्याय/2021/1711 दिनांक 01.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय समसंख्यक पत्रांक 8545 दिनांक 22.12.2021 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तनुसार।**
>
> -sd-
> (कमला अलारिया)
> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
> श्रीगंगानगर

अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)()न्याय/2021/8545 दिनांक 27.12.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब/सूचना प्रेषित की है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही आपके द्वारा उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड के निरीक्षण उपरान्त चाही गई चिन्हित सूचना इस पत्र के संलग्न कर प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात <u>दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए</u>**। सूचना के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)